दर्ज करना न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीयों के प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होते है।

अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाते है। पत्रावली फैसल की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2023.03.24 16:05:02 IST
Reason: SelfAttested